अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 66/2023 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. मदन मोहन पुत्र स्व॰ श्री मांगीलाल
2. श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री मदन मोहन

निवासी ए–28/2 बी उगम पथ, जयसिंह हाईवे, बनीपार्क कलक्ट्रेट जयपुर, ।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. सौरभ जैन पुत्र श्री मदन मोहन
2. श्रीमती ज्योत्सना जैन पत्नी श्री सौरभ जैन

निवासी ए–28/2बी उगम पथ, जयसिंह हाईवे, बनीपार्क कलक्ट्रेट जयपुर, ।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक13.09.2023 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण प्रकरण संख्या 51/2023 ब उनवानी मदन मोहन बनाम सौरभ जैन

उपस्थितः–

1. अपीलान्ट संख्या एक उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 उपस्थित है।

आदेश **दिनांक 30.01.2024**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण के प्रकरण संख्या 51/2023 ब उनवानी मदन मोहन बनाम सौरभ जैन में पारित आदेश दिनांक 13.09.2023 के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यथीगण को नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थीगण वरिष्ठ नागरिक है तथा प्रत्यर्थीगण 1 व 2 पुत्र व पुत्रवधु है। अपीलार्थी संख्या

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

एक के अधिकार एवं स्वामित्व का एक मकान संख्या ए–28/2 बी उगम पथ, जयसिंह हाईवे, बनीपार्क जयपुर में स्थित है। उक्त सम्पत्ति पर दो कमरे, रसोई निवास हेतु अब से काफी समय पूर्व से ही प्रत्यर्थीगण तथा उसके बच्चों को दे रखा है। अपीलार्थीगण, प्रत्यर्थीगण के साथ ही रहे है । प्रत्यर्थीगण ने साथ रहते हुये अत्यन्त अमानवीय शोषण किया तथा सभी चल सम्पत्तियों को अपने अधिकार मे लेकर खुर्द बुर्द कर दिया और उनका दुरूपयोग किया। अपीलार्थी के व्यापार को अपने हक में करने हेतु हर सम्भव प्रयास किया और अपलार्थीगण ने पुत्र वात्सल्य के कारण अपनी व्यापार से जो भी पैसा आता वह प्रत्यर्थी तथा उसका परिवार ही बरतते थे और पुत्र व पुत्रवधु द्वारा अपीलार्थीगण की सेवा करने वाले आदमी को नौकरी से हटा कर भगा दिया गया तथा अपीलार्थीगण हमेशा बीमार रहते है। अपीलार्थीगण की देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 1 अब नशे का आदी हो गया है। जैसे ही प्रत्यर्थी संख्या एक का स्वार्थ सिद्व हुआ उसके पश्चात से अपीलार्थीगण पर क्रूरता पूर्ण व्यवहार प्रारम्भ कर दिया। रात में दरे से आना तथा नशे में लडाई झगडा करना तथा पैसों के लिए मारपीट करना आरम्भ कर दिया । अपीलार्थीगण द्वारा कई बार पुलिस को सूचना दी, पुलिसवालों ने लडाई झगडा नही करने बाबत पाबन्द कर रखा है। लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 1 अपनी हरकतों से बाज नही आ रहा है। अपीलार्थीगण द्वारा अपनी दवाईयों बाबत कहने पर प्रत्यर्थी द्वारा कहा जाता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। अपीलार्थीगण द्वारा कहा कि तू करता क्या है, कि मै कुछ नहीं करता आप लोगों को मेरे बारे में पूछने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे पास जब भी पैसा आयेगा आप लोगों की दवाई लाऊंगा। अपीलार्थीगण के साथ लडाई पर उतारू हो जाता है। प्रत्यर्थी संख्या 1 के उक्त कृत्यो से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी को मकान खाली करने को कहा, जिस पर उल्टा प्रत्यर्थी द्वारा ही अपीलार्थीगण को उसके ही मकान से निकालने की धमकी दी और कहा कि बात नहीं मानी तो किसी भी अप्रिय घटना के होने की पूरी पूरी सम्भावना है । साथ ही प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थीगण को शारीरिक व मानसिक तौर पर कष्ट, पीड़ा देने व परेशान करने आदि की धमकियां दी जा रही है। अपीलार्थीगण की सेवा सुश्रषा व दवाई से प्रत्यर्थीगण ने मुह मोड रखा है और अपीलार्थीगण को स्वयं की सम्पत्ति से बेदखल करने पर उतारू है। अपीलार्थीगण काफी वृद्व है इसी के चलते प्रत्यर्थीगण द्वारा काफी यातनायें दी जा रही है और परिवार के अन्य लागों की काफी समझाईश के बाद भी प्रत्यर्थीगण के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आरहा है। अपीलार्थीगण का प्रत्यर्थीगण द्वारा कोई सेवा सुश्रषा व भरण पोषण नहीं किया जा रहा है, अपितु अपीलार्थीगण के साथ अभद्र व्यवहार करते है। प्रत्यर्थी संख्या 1 अपीलार्थीगण का पुत्र है उसका कर्तव्य है कि वह अपने बुजुर्ग माता पिता का पूर्ण ध्यान रखे, अपीलार्थीगण की दवा दारू व भरण पोषण आदि का पूरा ध्यान रखे इसके बावजूद भी प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थीगण को लगातार प्रताड़ित किया गया। जिससे अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष अपीलार्थी के स्वामित्व व अधिकार के मकान संख्या ए–28/2 बी उगम पथ, कान्ति नगर, जयसिंह हाईवे, बनीपार्क जयपुर को खाली कराने व प्रत्यर्थीगण को इस बात से पाबन्द करने कि वह उक्त सम्पत्ति बाबत किसी प्रकार का झगडा फिसाद, उपद्रव, गाली गलौच ना

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

करे ना ही न्यूसेन्स कारित करे तथा गुजारा भत्ता 15000/–रूपये प्रतिमाह दवा, खाने पीने बाबत दिलाया जावें, किन्तु अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.09.2023 से अपीलार्थी द्वारा चाहा गया मकान खाली कराने का अनुतोष खारिज कर दिया तथा प्रत्यर्थीगण से 5000–5000 रूपये पृथक पृथक दिये जाने का आदेश पारित कर दिया । अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ अधिकरण का आदेश दिनांक 13.09.2023 को इस हद तक संशोधित किया जावे कि अपीलार्थी के स्वामित्व व अधिकार का मकान संख्या ए–28/2 बी उगम पथ, जयसिंह हाईवे, बनीपार्क जयपुर प्रत्यर्थीगण से खाली करवाया जाने का आदेश पारित किया जावे एवं अपीलार्थीगण को 15000/– रूपये पृथक पृथक रूप ये भरण पोषण राशि दिलवाये जाने का आदेश फरमावे।

5. प्रत्यर्थी संख्या एक ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थीगण के स्वामित्व का मकान संख्या ए–28/2 बी उगम पथ, जयसिंह हाईवे, बनीपार्क जयपुर में स्थित है। उक्त सम्पत्ति पर प्रत्यर्थी संख्या 1 अपीलार्थीगण का पुत्र होने की हैसियत से निवासरत है। प्रत्यर्थी द्वारा कभी अपीलार्थीगण की सम्पत्ति को खुर्दबुर्द नहीं किया न ही उक्त सम्पत्ति का किसी प्रकार से दुरूपयोग किया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपीलार्थीगण अर्थात माता–पिता की हमेशा देखभाल व उनकी बीमारी में निरन्तर ध्यान रखा है। वास्तविकता यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 वर्तमान स्थिति में नौकरी छूट जाने से बेरोजगार है। प्रत्यर्थी किसी प्रकार के नशे का आदि नहीं है। अपीलार्थीगण प्रत्यर्थी के माता–पिता है जिनका प्रत्यर्थी द्वारा हमेशा से आदर सत्कार किया जाता है। प्रत्यर्थी द्वारा कभी भी अपीलार्थीगण के साथ कूरता पूर्ण व्यवहार नहीं किया गया है तथा प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थीगण का हमेशा ही सुख दुख में साथ दिया है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थीगण की सेवा सुश्रुषा में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी। बावजूद इसके अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी के खिलाफ एक झूंठी शिकायत लडाई झगड़े की पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। अपीलार्थीगण द्वारा सोची समझी साजिश के तहत घर से बेदखल किये जाने की नीयत से मनघढन्त कहानी बनाते हुये उक्त परिवाद पेश किया है जो विधि विरूद्व है और किसी भी कोर्ट में चलने योग्य नहीं है। अतः अपील खारिज फरमावें।

6. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दलील प्रस्तुत की है कि प्रत्यर्थी पर मानवीय शोषण का आरोप लगाया है किन्तु प्रत्यर्थी द्वारा किसी भी वृद्व जनों के साथ कोई मानवीय अत्याचार नहीं किया गया, अपितु अपीलार्थीगण द्वारा ही प्रत्यर्थी व उसकी पुत्री को घर से निकालने के लिए मार पिटाई व गाली गलौच की जाती थी। अपीलार्थीगण द्वारा बार बार थाने पर अपीलार्थी के पुत्र के खिलाफ शिकायत की जाती रही है। अपीलार्थीगण का पुत्र प्रत्यर्थी संख्या 1 नशे का आदि हो गया है व प्रत्यर्थी संख्या 2 के साथ मार पिटाई व गाली गलौच करता है। सिन्धी कैम्प थाने की रिपोर्ट अवलोकनार्थ प्रस्तुत है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 व उसकी सास दोनों ने ही थाने पर उपस्थित होकर प्रत्यर्थी संख्या 1 के खिलाफ शिकायत की थी । अपीलार्थीगण अपने पुत्र से परेशान है । प्रत्यर्थी संख्या 2 अपने पति की मार पिटाई गाली गलौच व शराब के लिए पैसों की डिमाण्ड से परेशान है। अपीलार्थीगण द्वारा

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

बार बार प्रत्यर्थी संख्या 2 को व उसकी पुत्री को घर से बेदखल करने के लिए सारे षडयंत्र किए जा रहे है जबकि अपीलार्थीगण को स्वयं विदित है कि प्रत्यर्थी संख्या एक शराबी है व मार पिटाई करता है, फिर भी अपीलार्थीगण अपनी इकलोती पोत्री व बहू को घर से निकाल देना चाहते है अपीलार्थी संख्या 1 व 2 ने स्वयं अपनी शिकायत जो कि अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा हस्त लिखित है में वर्णित किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 व उसकी पुत्री का खर्चा अपीलार्थीगण द्वारा ही किया जाता है, बाजवूद परिस्थितियों के जाने अपीलार्थीगण द्वारा सोची समझी साजिश से यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है। अपने पुत्र के कारण अपीलार्थीगण प्रत्यर्थी व उसकी पुत्री को भी अपने पैत्रृक निवास से बेदखल कर देना चाहते है। प्रत्यर्थी के पास अपनी पुत्री के साथ रहने के लिए अलग से कोई मकान नहीं है। माननीय अधिकरण से अनुरोध है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 व उसकी पुत्री को घर मे एक कमरा, रसोई व लेट बाथ रहवास हेतु दिलवाया जावे। अपीलार्थीगण वृद्व है यह सत्य है, परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 2 ने कभी भी अपने सास ससुर को परेशान नहीं किया वरन प्रत्यर्थी तो स्वयं उनके साथ ही निवास करती है । प्रत्यर्थी संख्या 2 व उसकी पुत्री अपीलार्थी संख्या 1 व 2 पर ही आश्रित है। अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा ही शराब पीकर परेशान किया जाता है। अपीलार्थीगण ने आज दिवस तक प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट किसी भी थाने में नहीं की है । प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपनी समस्त जिम्मेदारियों की पालना की है। प्रत्यर्थी संख्या 2 तो स्वयं अपने पति के शराब पीने व लडाई झगड़ा के कारण परेशान है । अपीलार्थीगण भी प्रत्यर्थी संख्या 1 का ही साथ देते है। अपीलार्थीगण द्वारा पूरे परिवाद में कहीं भी प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ कोई रिलीफ नहीं मांगी है। सिर्फ प्रत्यर्थी संख्या 2 को लपेटा गया है। जिससे उसे अपने ससुराल से बेदखल किया जा सके। प्रत्यर्थी संख्या 2 स्वयं जैसे तैसे करके अपना व अपनी पुत्र का भरण पोषण कर रही है। प्रत्यर्थी की इतनी हैसियत नहीं है कि वह अलग मकान लेकर रह सके । प्रत्यर्थी की पुत्री 13 वर्ष की हो चुकी है, जिसे अपने दादा दादी के भरोसे तो छोड सकती है, परन्तु स्कूल के बाद किराये के मकान मे अकेले नहीं छोड़ सकती । प्रत्यर्थी ने अपना व पुत्री का खर्चा उठाने के लिए झोटवाडा में एक दुपट्टे की दुकान खोल रखी है, कोरोना के पश्चात दुकान नहीं चलती है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी को किश्तों पर गाडी दिलवादी, जिसकी किश्तों का भार भी प्रत्यर्थी संख्या 2 पर ही है। गाडी की किश्त, दुकान का किराया, बच्ची की फीस व खाना खर्चा ही बडी मुश्किल से कर पाती है। अधीनस्थ अधिकरण ने अधिकार क्षेत्र के बाहर प्रत्यर्थी संख्या 2 को 5000/– प्रतिमाह अपीलार्थीगण को दिये जाने का आदेश पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ अधिकरण के आदेश दिनांक 13.09.2023 को अपास्त किया जाकर उक्त अपील जो मिन उत्तरदाता के विरूद्व है, में अपीलार्थीगण को मिन प्रत्यर्थी संख्या 2 के विरूद्व प्रदत्त नहीं किया जावे।

7. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अपीलार्थीगण ने यह अपील प्रस्तुत कर दो अनुतोष चाहे है। प्रथम, अपीलार्थीगण ने 15,000/–रूपया प्रति माह भरण पोषण, ईलाज व दवाईयों आदि के दिलवाये जाने का अनुतोष चाहा है। अधिनियम में अधिकतम राशि 10,000/– रूपये दिये जाने का प्रावधान है। इस मामले में अधीनस्थ अधिकरण द्वारा 5000/– पुत्र व 5000/– पुत्रवधु से दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया है जबकि पति–पत्नी से पृथक पृथक भरण पोषण नहीं दिलाया जा सकता। इसमें आंशिक संशोधन किया जाता है। प्रत्यर्थी संख्या 1 जो अपीलार्थीगण का पुत्र है वह 10,000/–रूपये प्रतिमाह अपीलार्थीगण को उक्त आदेश दिनांक से अदा करे। द्वितीय, प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थीगण के मकान संख्या ए–28/2बी उगम पथ, जयसिंह हाईवे, बनीपार्क जयपुर से बेदखल किये जाने का अनुतोष चाहा है। अधिनियम में वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति की सुरक्षा किये जाने का भी प्रावधान है। प्रत्यर्थीगण अपीलार्थीगण की सम्पत्ति पर निवास करते है, अन्तरण लिखित अथवा मौखिक हो सकता है। इसलिए अपीलार्थीगण का यह अनुतोष आंशिक स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थीगण के स्वामित्व की सम्पत्ति मकान संख्या ए–28/2बी उगम पथ, जयसिंह हाईवे, बनीपार्क जयपुर से प्रत्यर्थी संख्या एक को बेदखल किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रत्यर्थी संख्या 2 को अपनी पुत्री के साथ मकान संख्या ए–28/2 बी उगम पथ, जयसिंह हाईवे, बनीपार्क जयपुर में यथावत रखा जाता है। प्रत्यर्थी संख्या 2 व उसकी पुत्री के उक्त मकान में रहने में अपीलार्थीगण किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। अपीलार्थीगण के साथ सद्व्यवहार करने व किसी प्रकार से गाली गलौच नहीं करने हेतु प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को पाबन्द किया जाता है। फलस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाती है।

9. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर